बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं. / 02 / 2022–

प्रेषक,

सी०पी० खण्डूजा, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक–

विषय – भारतमाला परियोजना के तहत वैशाली, समस्तीपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर–ताल दशहारा (0.00–47.50 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.042 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत वैशाली, समस्तीपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर–ताल दशहारा (0.00–47.50 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 3.042 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, छपरा का प्रस्ताव वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर एवं सीवान अंचल, सीवान के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 189 E/ 190 E दिनांक 16.02.1994 एवं अधिसूचना संख्या 485 E दिनांक 15.04.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है।

2. विषयाधीन पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कुल 3.042 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं कुल 1083 वृक्षों के प्रभावित होने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली एवं समस्तीपुर तथा क्रमशः वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान एवं मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	कि०मी०	क्षेत्रफल (हे० में)	Tranlocate किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या
1	वैशाली	0.00–32.23 = 32.23	0.748	71	70
2	समस्तीपुर	32.23–47.50 = 15.27	2.294	760	182
		कुल	**3.042**	**831**	**252**

3. वृक्ष सुरक्षा योजना के अनुसार कुल 252 वृक्षों के पातन एवं 831 वृक्षों का Traslocation प्रस्तावित है। प्रस्ताव में उन्हीं वृक्षों का पातन प्रस्तावित है जिनका Traslocation विभिन्न कारणों से संभव नहीं है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली एवं समस्तीपुर द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 तथा दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं समस्तीपुर से FRA, 2006 प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अलग से भेजा जायेगा।

5. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

6. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 3.042 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 7.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, जमुई के चकाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत पचुआडीह RF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 3.042 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 29,13,567/– (रूपये उनतीस लाख तैरह हजार पाँच सौ सड़सठ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 3.042 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये जमुई वन प्रमंडलन्तर्गत 7.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि पचुआडीह सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 29,01,279/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1464/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(सी0पी0 खण्डूजा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./02/2022–846 दिनांक–14/09/2022

प्रतिलिपि – परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, छपरा /वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली/समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/09/22

(सी0पी0 खण्डूजा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

भारतमाला परियोजना के तहत वैशाली, समस्तीपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर–ताल दशहारा (0.00–47.50 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 3.042 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली एवं समस्तीपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली एवं समस्तीपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
6	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली एवं समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना सूची।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
11	वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान एवं मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
12	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

14/09/22

(सी०पी० खण्डूजा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com